रजिस्ट्री सं. डी. (डी.एन.)-72 REGISTERED No. D. (D.N.)-72

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 428] नई दिल्ली, बुधवार, सितम्बर 28, 1983/आश्विन 6, 1905
No. 428] NEW DELHI, WEDNESDAY, SEPTEMBER 28, 1983/ASVINA 6, 1905

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

दिल्ली विकास प्राधिकरण

अधिसूचना

नई दिल्ली, 28 सितम्बर, 1983

का. आ. 691(अ).—एतद्द्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि दिल्ली विकास अधिनियम, 1957 (1957 की संख्या-61) की धारा 5 की उपधारा (2) (डी) के अन्तर्गत दिल्ली विकास प्राधिकरण की सलाहकार समिति के सदस्य के रूप में सेवा करने हेतु दिल्ली नगर निगम के पार्षदों तथा नगर प्रमुखों द्वारा अपने में से सर्वश्री बलवान सिंह सोलंकी, [illegible] मुकुन्द लाल चिन्द्रा तथा श्री आर. के. त्यागी को चुन लिया है ।

[सं. 5(1)/79-एम. सी.]
नाथू राम, सचिव, दिल्ली विकास प्राधिकरण

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY

NOTIFICATION

Delh, the 28th September, 1983

S.O. 691(E).—It is hereby notified that in pursuance of Clause (d) of sub-section (2) of Section 5 of the Delhi Development Act, 1957(61 of 1957), the councillors and aldermen of the Municipal Corporation of Delhi have, from among themselves, elected S|Shri Balwan Singh Solanki, Hari Chand Verma, Mukand Lal Bindra and R. K. Tyagi to serve as members of the Advisory Council of the Delhi Development Authority.

[F. No. 5(1)|79-M.C.]
NATHU RAM, Secy.
Delhi Development Authority

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI-110064
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054, 1983